न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 168 / 2025 बउनवानी **कमलेश मीना** बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी सीनोली पोस्ट सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

Appeal Number- 321103001490564

GCMS No-2025/ 329

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" ग्राम सीनोली के पत्र कमांक दिनांक 8.6.2022 से चरागाह भूमि को अतिकमण मुक्त बाबत दिया गया था जिसपर की गयी कार्यवाही सहित कुल 4 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना "*** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(3)() / सूकाअ / 2025 / 1326 दिनांक 12.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.9.2025 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3)के तहत उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अन्तरित किया जा चुका है एवं बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग के पत्रांक 4184 दिनांक 7.10.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया ज़ाा चुका है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के संबंध मे उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ है। अतः उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट को निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर